**अध्‍याय VIII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| बोर्ड द्वारा आवश्‍यक के अनुरूप निर्दिष्‍ट अधिकारों तथा सुनिश्चित दायित्‍वों सहित विविध समितियॉं गठित की जाती हैं। निदेश मंडल या इसके द्वारा नियुक्‍त समितियों की बैठक के कार्यवृत्‍त जॉंच / निरीक्षण के लिए जनताओं को नहीं दिया जाता है।  **निदेशक मंडल**  कंपनी के प्रबंधन निदेशक मंडल पर निहित है। कंपनी के संगम अनुच्‍छेद के अनुसार निदेशक मंडल में न्‍यूनतम चार निदेशक और अधिकतम 20 निदेशक हो सकते हैं।  निदेशक मंडल की संरचना नीचे दी जाती है : -   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | क्रम सं | नाम | पदनाम | नियुक्ति की तारीख | | प्रकार्य निदेशक | | | | | 1. | श्री मलय चटर्जी | अध्‍यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 01.07.2012 | | 2. | श्री एम वी सुब्‍ब राव | निदेशक (वाणिज्‍य) | 01.02.2013 | | 3. | श्री एन विद्यानन्‍दा | निदेशक (उत्‍पादन एवं परियोनाएं) | 01.11.2013 | | 4. | श्री एस के गोराई | निदेशक (वित्‍त) | 11.11.2016 | | अंश कालीन सरकारी निदेशक | | | | | 1. | श्रीमती भारती एस सिहाग | विशेष सचिव एवं वित्‍तीय सलाहकार, इस्‍पात मंत्रालय, भारत सरकार | 16.03.2015 | | 2. | श्री टी श्रीनिवास | संयुक्‍त सचिव,  इस्‍पात मंत्रालय, भारत सरकार | 15.07.2015 | |  |  |  |  | | अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक | | | | | 1. | डॉ. बी के साहू | स्‍वतंत्र | 30.01.2014 | | 2. | श्री माधव लाल | स्‍वतंत्र | 27.11.2015 |   बोर्ड की उपसमितियां   1. लेखा एवं जोखिम प्रबंधन समिति 2. नामकंन एवं पारिश्रामिक समिति 3. निगमित सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व समिति 4. शेयरधारक संबंधी समिति 5. निवेश परियोजना मूल्‍यांकन एवं अनुवीक्षण समिति   निदेशक मंडल और बोर्ड की उपसमितियों की बैठक आम जनता के लिए प्रवेश्‍य नहीं हैं। वैसे ही निदेशक मंडल और बोर्ड की उप समितियों की कार्यसूची कागज़ाते तथा कार्यवृत्त बही लोगों के निरीक्षण जॉंच के लिए उपलब्‍ध नहीं है। |